विधान परिषद के प्रथम सत्र-2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
4 (क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के पंजीकरण की व्यवस्था है?	जी हाँ। उ0प्र0 राज्य में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित ई-श्रम पोर्टल पर ऑन लाइन पंजीकरण के द्वारा तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्राविधानों के अनुसार पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है।
(ख) यदि हाँ, तो किस-किस योजना के तहत श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है?	असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अन्तर्गत किया जाता है तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किसी योजना के अन्तर्गत नहीं किया जाता है अपितु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्राविधानों के अनुसार ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं और जो निर्माण श्रमिक के रूप में उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-488/36-2-2013 दिनांक 25-07-2013 द्वारा अधिसूचित 40 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में 365 दिन में कम से कम 90 दिन कार्यरत हो, बोर्ड में लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होते हैं।
(ग) क्या पंजीकृत श्रमिकों को योग्यतानुसार सेवायोजित किये जाने की योजनायें संचालित है?	पंजीकृत श्रमिकों को योग्यतानुसार सेवायोजित किये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।
(घ) यदि हाँ, तो कितने पंजीकृत श्रमिकों को सेवायोजित किया गया है?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड़) उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग।